# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या – डिक्री 10 सन् 2020**
**पंजीयन दिनांक 29.01.2020**

1. द्वारकाप्रसाद पिता जीतमल जाति जाट निवासी मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
2. मु0 मगनी पुत्री जीतमल जाति जाट निवासी मुण्डकटिया हाल मुकाम आंजनखेडा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
3. मु0 अणछीबाई पुत्री जीतमल जाति जाट निवासी मुण्डकटिया हाल मुकाम रावतिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांगण

**विरूद्ध**

नगजीराम पिता हीरा जाति जाट–मृतक के बजाय

1. किशनलाल पिता नगजीराम जाति जाट निवासी मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
2. तुलसी पुत्री नगजीराम पत्नि भगवानलाल जाति जाट निवासी मुण्डकटिया हाल उदाखेडा तहसील मावली जिला उदयपुर
3. नोसर पुत्री नगजीराम पत्नि भगवानलाल जाति जाट निवासी मुण्डकटिया हाल चंगेडी तहसील मावली जिला उदयपुर
4. कंचन पुत्री नगजीराम पत्नि नारायणलाल जाति जाट निवासी मुण्डकटिया हाल जावा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

2. देवीलाल पिता ऊंकार जाति जाट निवासी मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
3. गेरू पिता नारायण जाति जाट–मृतक के बजाय
   1. सीता पुत्री गेरू जाति जाट निवासी मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
   2. शंकरी पत्नि गेरू जाति जाट निवासी मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
4. भेरूलाल पिता डालु जाति जाट निवासी मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
5. मु0 देऊ बेवा गणेश जाति जाट निवासी मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
6. मु0 ख्याली पुत्री गणेश जाति जाट निवासी मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
7. रतनलाल पिता ऊंकार जाति जाट–मृतक के बजाय
   1. माधु पिता रतनलाल जाति जाट निवासी मुण्डकटिया हाल मुकाम करूकडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
   2. भगवतीलाल पिता रतनलाल जाति जाट निवासी मुण्डकटिया हाल मुकाम करूकडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
   3. सुगना पुत्री रतनलाल पत्नि घनश्याम जाति जाट निवासी मुण्डकटिया हाल मुकाम गुदलीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
   4. गोपी बाई पत्नि रतनलाल जाति जाट निवासी मुण्डकटिया हाल मुकाम करूकडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
8. मोहनलाल पिता ऊंकार जाति जाट निवासी मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
9. सम्पत पिता ऊंकार जाति जाट निवासी मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
10. मु0 खुमाणी बाई बेवा गणेश जाति जाट निवासी मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

11. माधु पिता गणेशलाल जाति जाट निवासी मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
12. मु0 पुष्पा पुत्री गणेशलाल पत्नि मनोज कुमार जाति जाट निवासी मुण्डकटिया हाल मुकाम मुरला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
13. मु0 भगवानी पुत्री गणेशलाल पत्नि गेहरीलाल जाति जाट निवासी मुण्डकटिया हाल मुकाम मुरला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
14. मु0 गीता पुत्री गणेशलाल जाति जाट निवासी मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
15. मु0 मीना पुत्री गणेशलाल पत्नि द्वारकाप्रसाद जाति जाट निवासी मुण्डकटिया हाल मुकाम निलोद तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
16. मु0 अबलू पुत्री गणेशलाल जाति जाट निवासी मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
17. भगवानलाल मुत्तबन्ना ऊंकारलाल जाति जाट निवासी मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
18. कालु पिता दयाराम जाति जाट–मृतक के बजाय
    1. केसरबाई पत्नि कालु जाति जाट निवासी मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
19. जगदीश पिता डालु जाति जाट निवासी मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
20. मु0 चांदी बेवा डालु जाति जाट निवासी मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
21. तहसीलदार तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध
अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन
प्रकरण संख्या 280/2008 रेवेन्यू वाद अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2013

उपस्थित–
1. शिवनारायण जाट–अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. छोगालाल जाट – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3/1, 3/2 व 4
3. रेस्पोडेन्ट सं. 1,2 व 5 से लगायत 20 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 21

**निर्णय** **दिनांक 19.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण सं. 1 से 4 वादीगण व अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की संयुक्त कृषि आराजीयात मोजा मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर की खाता सं. 29 मे आराजी नम्बर 240,241,250,259,260,374–377,559,568,586,587 कुल किता 13 कुल रकबा 2.95 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त कृषि आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी व प्रतिवादी सं. 7 से 14 के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 1/2 व प्रतिवादी सं. 7 से 14 का 1/2 हक व हिस्सा है। इसी अनुसार खतोनी सं. 31 मे आराजी नम्बर 181 स्थित है जो वादीगण सं. 1,3, व 4 प्रतिवादी सं. 7 से 22 तक के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 3/16, वादी सं. 3 का 3/16, वादी सं. 4 एवं प्रतिवादी सं. 16 से 20 का 1/8, प्रतिवादीगण सं. 7 से 14 का 3/16, प्रतिवादी सं. 15,21,22 का 3/16, प्रतिवादी सं. 16 व 17 का 1/8 हक व हिस्सा निहित है। खातेदार गणेश फौत हो जाने से प्रतिवादी सं. 1 से 14 वारिसान को प्रतिवादीगण पक्षकार मुकदमा बनाया है। इसी प्रकार खतोनी सं. 72 की आराजी नम्बर 247,870,919 स्थित है। उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 14 के संयुक्त खातेदारी से दर्ज रेकार्ड होकर वादी रेस्पोडेन्ट सं. 1 का 1/4, वादी रेस्पोडेन्ट सं. 2 एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 का 1/2 तथा प्रतिवादीगण सं. 7 से 14 तक का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार खतोनी सं. 70 की कृषि आराजीयात नम्बर 528 से 531, 555, 556 से 558, 582,583,937 से 939 स्थित होकर उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण, अपीलान्ट्गण व अन्य रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण सं. 1 से 20 तक के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। वादी सं. 1 का 1/8 प्रतिवादी सं. 7 से 14 तक 1/8 वादी सं. 2 व प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 का 1/4 हिस्सा, वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 का 1/8, प्रतिवादी अपीलान्ट सं. 1 का 1/8 हिस्सा, वादी रेस्पोडेन्ट सं. 4 व प्रतिवादी सं. 19 व 20 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 16 से 18 प्रत्येक का 1/16 हिस्सा निहित है। मौके पर आपसी बंटवाडा होकर उसी अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। खतोनी सं. 107 मे दर्ज आराजी नम्बर 267,268,270,273,923,927 स्थित है। उक्त कृषि आराजीयात वादीगण सं. 3 व 4 व प्रतिवादीगण 15 से 19, 21 व 22 के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। इसमे वादी सं. 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 15, 21 व 22 का 1/4 हिस्सा, वादी रेस्पोडेन्ट सं. 4 व प्रतिवादी सं. 19 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 16 से 18 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है। खातेदार गंगाबाई के फौत हो जाने पर प्रतिवादी सं. 15, 21 व 22 को पक्षकार बनाया है। इसी प्रकार खतोनी सं. 33 मे आराजी नम्बर 274, 277, 371, 372, 560,564,584,656 स्थित है। उक्त कृषि आराजीयात मे वादी रेस्पोडेन्ट सं. 3 का 1/2 हिस्सा अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 15 का 1/2 हिस्सा है। खातेदार देऊ के फौत हो जाने पर वादी रेस्पोडेन्ट सं. 3 एकमात्र वारिस हो जाने से वादी बनाया है। उपरोक्त सभी कृषि आराजीयात पक्षकारान के शामलात मे दर्ज रेकार्ड होने से ऋण लेने, किसान क्रेडिट कार्ड बनाने, लगान जमा कराने मे परेशानी होती है जिससे पक्षकारान के मध्य बंटवाडा करा अलग-अलग खाते दर्ज कराना आवश्यक है, व आने-जाने का रास्ता भी कायम कराया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 5 से 21 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये जो तामील होकर प्राप्त होने से व प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.06.2009 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये एवं कमिश्नर से फर्द बंटवाडा मंगवाया जाने का आदेश पारित किया। कमिश्नर के द्वारा दिनांक 12.05.2011 को फर्द बंटवाडा रिपोर्ट तैयार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। जिस पर बहस सुनी जाकर उक्त फर्द बंटवाडे अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.05.2013 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये। अंतिम निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण सं.15,21 व 22 ने इस न्यायालय मे प्रथम

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण सं. 15,21,22 की ओर से प्रथम अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अपील अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण 15,21,22 पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अन्य रेस्पोडेन्ट्गण बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 21 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण सं. 15,21,22 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण सं. 15,21,22 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण सं. 15,21,22 प्रार्थीगण अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण सं. 15,21,22 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट्गण 1 से 4 वादीगण ने अपीलान्ट्गण अन्य रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मोजा मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर की खाता सं. 29, 72, 70, 107 व 33 जो रेस्पोडेन्ट्गण 1 से 4 वादीगण व अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट्गण 5 से 20 प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड होकर अलग-अलग हक व हिस्सा निहित है। उक्त कृषि आराजीयात का हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा कराये जाने का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। जिसको दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट्गण सं. 5 से लगायत 21 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे तामील होने के बावजूद अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 5 से 20 प्रतिवादीगण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित नही होने से उक्त पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण की साक्ष्य ली जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा किये जाने के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये व प्राथमिक निर्णय व डिक्री अनुसार तहसीलदार भूपालसागर को बंटवाडा किये जाने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया। कमिश्नर ने पक्षकारो को बिना सूचित किये फर्द बंटवाडा तैयार करवाया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया जिसमे कमिश्नर के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की किसी भी रूप मे पालना नही की और न ही पक्षकारान को बंटवाडे मे दी गई कृषि आराजीयात के रास्ते को ही ध्यान मे रखा है। पक्षकारान को अपने हक व हिस्से मे प्राप्त होने वाली कृषि आराजीयात के रकबे से भी कम भूमि बंटवाडे मे रखते हुए तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दिये है। अपीलान्ट्गण द्वारा प्रतिवादी सं6 बगतावरी एवं प्रतिवादी सं. 7 नोजी के स्वर्गवास हो जाने से संशोधित अनवान प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके उत्तराधिकारी पूर्व मे ही पक्षकार है। अतः मृतका प्रतिवादीगण का नाम रेस्पोडेन्ट्गण से हटाया गया है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा प्रतिपादित बंटवाडा नियमो

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

के विपरीत होने से अपीलान्ट्गण प्रतिवादी सं. 15,21,22 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 वादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे संयुक्त खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्गण सं. 5 से 21 व अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये जो विधिवत तामील होकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्राप्त हुए उसके बावजूद अपीलान्ट्गण व अन्य रेस्पोडेन्ट्गण सं. 5 से 20 प्रतिवादीगण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण की साक्ष्य ली जाकर राजस्व रेकार्ड व साक्ष्य के अनुसार बंटवाडा किये जाने के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये उप-तहसीलदार भूपालसागर को बंटवाडा किये जाने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया। कमिश्नर के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियो के साथ पक्षकारान को सूचित किया जाकर फर्द बंटवाडा दिनांक 12.05.2011 को तैयार किया गया व उक्त फर्द बंटवाडा दिनांक 06.07.2011 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात् अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.05.2013 को उभयपक्षकारान को सुना जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमे आने-जाने के रास्ते हक हिस्से व कब्जे को मध्यनजर रखते हुए फर्द बंटवाडा तैयार किया गया। उक्त फर्द बंटवाडे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिनुसार होने से अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण सं. 15,21,22 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 21 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 5 से 20 प्रतिवादीगण के विरूद्ध सहखातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट्गण व अन्य रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्मन नोटिस तामील होने के बावजूद उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे फर्द बंटवाडा मंगवाया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण ने अपीलान्ट्गण व अन्य रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मोजा मुण्डकटिया तहसील भूपालसागर की खाता सं. 29 खाता सं. 31, खाता सं. 72 मे खाता सं. 70 खाता सं. 107 व खाता सं. 33 मे दर्ज संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे बंटवाडे का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट्गण 5 से 21 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे तामील होकर प्राप्त हुए उसके पश्चात् अपीलान्ट्गण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रतिवादीगण सं. 5 से लगायत 20 प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने से अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 5 से 20 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण की साक्ष्य ली जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण की ओर से प्रस्तुत बंटवाडे का वादपत्र प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर उक्त कृषि आराजीयात जो पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है, का हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा किये जाने हेतु उप-तहसीलदार भूपालसागर को राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना हेतु कमिश्नर नियुक्त किया। कमिश्नर के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाडे पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये है। फर्द बंटवाडे मे हक व हिस्से के अनुसार रकबा अंकित नही किया गया है न ही बंटवाडे मे प्राप्त कृषि आराजोयात पर पक्षकारान को आने-जाने का रास्ता ही उपलब्ध करवाया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 15,21,22 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादी सं. 15,21 व 22 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन के प्रकरण संख्या 280/2008 रेवेन्यू वाद मे पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2013 निरस्त किये जाकर पत्रावली उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2009 की पालना मे कमिश्नर स्वयं के द्वारा उभयपक्षकारान को सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान के हक, हिस्से, कब्जे व आवागमन के रास्ते को मध्यनजर रखते हुए फर्द बंटवाडा, राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुरूप तैयार किये जाकर तलब करे। फर्द बंटवाडे पर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 23.01.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय एवं डिक्री की सत्यप्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर को अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)